UPMT010026912024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा

व्यवहार निगरानी संख्या–45/2024

(सम्बन्धित मूलवाद संख्या–493/2022)

विष्णु बाबरा शिष्य स्व. रसिका बाबा जी महाराज निवासी–78, रसिक धाम, चामुण्डा कॉलोनी, गोधूलिपुरम का पूर्वी गेट, राजपुर, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

----- निगरानीकर्ता/तृतीयपक्ष

प्रति

1–मोहिनीशरण पुत्र रसिका बाबा निवासी–78 रसिक धाम, चामुण्डा कॉलोनी, गोधूलिपुरम का पूर्वी गेट, राजपुर, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

--- प्रत्यर्थी/वादी

2– चित्र उर्फ सुमित (भजन गायक) मोदी नगर निवासी गिर्राज बिहार अपार्टमेंट, ठाकुर जी के आश्रम के पास, रमणरेती, वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

3– विचित्र उर्फ सुमित (भजन गायक) मोदी नगर निवासी गिर्राज बिहार अपार्टमेंट, ठाकुर जी के आश्रम के पास, रमणरेती, वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

---प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

निर्णय

1– यह व्यवहार निगरानी मूलवाद संख्या–493/2022 मोहिनीशरण प्रति चित्र विचित्र आदि में विद्वान अपर सिविल जज (सी०डि०), न्यायालय संख्या 02, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.02.2024 के विरूद्ध तृतीयपक्ष/ निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा तृतीयपक्ष/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 37 क अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० निरस्त किया है।

2– इस व्यवहार निगरानी हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मूलवाद संख्या–493/2022 मोहिनीशरण प्रति चित्र विचित्र आदि घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति के मालिकाना हक एवं एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री वादी के हक में इस आशय की पारित की जाये कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/कर्मचारीगण के माध्यम से वादी के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप करने से निषेधित रहें।

3– वाद के विचारण के दौरान विभिन्न कार्यवाहियों के मध्य तृतीयपक्ष विष्णु बावरा द्वारा प्रार्थनापत्र 37 क अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी०पी०सी० मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि – उक्त वाद वादी की ओर से जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.01 17:11:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दायर किया गया है उस सम्पत्ति के वास्तविक मालिक बाबा रसिका पागल शिष्य श्री 108 श्री गोविन्द शरण शास्त्री थे, बाबा रसिका पागल का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2021 को हो गया है। बाबा रसिका पागल भगवान का भजन संकीर्तन के द्वारा गुणगान करते थे। इसी कारण उनके भक्त लोग उन्हे भजन सम्राट के नाम से जानते थे। बाबा रसिका पागल के भजनों में गायन व उनके द्वारा दीक्षित व उनके ही द्वारा दिया गया नाम प्रार्थी विष्णु बाबरा भी सहयोग करता था तथा उन्ही के साथ प्रश्नगत आश्रम में रहता था व अपने गुरूजी बाबा रसिका पागल के साथ ही बाहर कार्यक्रमों में जाता था व बाबा की देखभाल करता था सेवा सुश्रषा करता था बाबा रसिका पागल प्रार्थी के अन्य शिष्यों की अपेक्षा प्रार्थी से अधिक लाड़–प्यार करते थे तथा विश्वास करते थे। बाबा रसिका पागल जी के देहान्त से एक दिन पूर्व यानि दिनांक 03.12.2021 को प्रार्थी के गुरू बाबा रसिका पागल जी द्वारा एक इच्छा पत्र लिखवाया गया जिसके द्वारा बाबा की अन्तिम इच्छानुसार प्रश्नगत सम्पत्तियों के संबंध में एक ट्रस्ट का निर्माण करना था उस ट्रस्ट का संस्थापक/अध्यक्ष अपने शिष्य विष्णु बाबरा यानि प्रार्थी को बनाया जाना घोषित करते हुये प्रश्नगत सम्पत्तियो के सम्बन्ध में संचालन के समस्त अधिकार प्रार्थी को दे दिये। प्रश्नगत सम्पत्ति को हडपने की नियत से महाराज जी की बिना इच्छा के गुरूजी के आश्रम में रखे षडयंत्र कर कई करोडों रूपये भी वादी मोहिनी शरण व उसके सहयोग चोरी कर ले गये है जिसकी शिकायत दिनांक 03.12.2021 को प्रार्थी द्वारा पुलिस प्रशासन में की गई व एक शिकायत दिनांक 16.12.2021 को की गई। प्रार्थी द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध की एक फौजदारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी प्रस्तुत कर रखी है जो न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा के यहाँ विचाराधीन है। वादी मोहिनी शरण ने गलत तौर पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर व मीडिया को अपने प्रभाव में लेकर प्रश्गनत सम्पत्ति/आश्रम का फर्जी महंत व विशेष बनकर यह वाद प्रस्तुत कर दिया है जिसका उसे कोई अधिकार हासिल नही है। यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत सम्पत्ति/आश्रम में विराजमान ठाकुर जी व हरिदास जी व गुरूजी की छवि की व आश्रम की व्यवस्था प्रार्थी द्वारा की जा रही है प्रार्थी प्रश्नगत आश्रम में रहकर तन मन व धन से अपने गुरूजी के समय से ही गुरूजी की व उनके बाद आश्रम की भली भाँति सेवा कर रहा है प्रश्नगत सम्पत्ति/आश्रम में प्रार्थी के साथ साथ प्रार्थी के गुरूजी के अन्य शिष्यों का भी सहयोग चल रहा है। प्रार्थी अपने सभी गुरू भाइयों के सहयोग से गुरूजी की जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरा करने के लिये प्रश्नगत सम्पत्ति / आश्रम का एक चैरीटेबिल ट्रस्ट बनाना चाहते है जिसे बनने में भी वादी मोहिनी शरण दखलअंदाजी देता है और कहता है कि इस सम्पत्ति का ट्रस्ट किसी भी कीमत पर नही बनने दूँगा। वादी ने गुरूजी की सम्पत्ति/आश्रम के स्वामित्व के सन्दर्भ में दायर इस वाद कि जो आपसी साजिश से सबूत बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है कि न्यायिक निस्तारण के लिये आवश्यक एंव जरूरी फरीक मुकदमा है। प्रार्थी को इस वाद में बतौर प्रतिवादी फरीक कायम किये जाने से न्यायालय को प्रकरण के न्यायिक निस्तारण में मदद मिलेगी। प्रार्थी के हक में बाबा रसिका पागल जी द्वारा दिनांक 03.12.2021 को इच्छापत्र निष्पादित किये जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा वादी व वादी के सहयोग करने वाले देवदास उर्फ देव घोसला राजरानी व प्रतिवादीगण जो कि सभी आपस में मिले हुये थे के

विरूद्ध एक शिकायत श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के समक्ष की और उसमें वादी व प्रतिवादीगण एवं अन्य द्वारा बाबा रसिका पागल जी को भ्रमित करते हुये प्रश्नगत सम्पत्तियों की वसीयत अपने हक में कराने का कुत्सित प्रयास किये जा रहे थे। जिनमें सभी को प्रार्थी द्वारा ही दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.2021 के माध्यम से रोका जा सका। यह कि वादी मोहिनी शरण द्वारा वाद पत्र में अपना नाम मोहिनी शरण पुत्र रसिका बाबा लिखा है जबकि वास्तव में उसका नाम रसिकदास निवासी हरीदास नगर राजपुर बांगर वृन्दावन मथुरा का निवास है। और शुरू से ही प्रश्नगत सम्पत्तियों पर घात लगाये बैठा है और प्रश्नगत सम्पत्तियों को हडपने की मंशा से वादी द्वारा प्रतिवादीगण से मिलकर यह वाद मान० न्यायालय में दायर किया है। जबकि बाबा रसिका पागल जी के इच्छापत्र दिनांक 03.12.2021 के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्तियों की प्रबंध व्यवस्था व संचालन हेतु ट्रस्ट का निर्माण किया जाना व प्रश्नगत सम्पत्तियों का संचालन प्रार्थी द्वारा किया जाना निर्धारित था व है। वादी प्रतिवादीगण आपस में साजिश कर उक्त वाद के माध्यम से Collusive (दुरभि संधि) डिकी प्राप्त कराना चाहते है और उसका सीधा प्रभाव बाबा रसिका पागल जी द्वारा की गई इच्छा पत्र दिनांक 03.12.2021 व प्रार्थी के अधिकारों पर पडेगा। प्रार्थी इस वाद में सम्यक प्रभावी व न्यायिक निस्तारण हेतु आवश्यक व जरूरी पक्षकार होने और प्रार्थी को बिन फरीक बनाये इस वाद का सम्यक, प्रभावी व न्यायिक निस्तारण होना कदापि सम्भव नही है तथा प्रश्नगत सम्पत्तियों में विराजमान ठाकुर जी महाराज के हित व अधिकारों के संरक्षण के दृष्टिगत इस वाद की जानकारी मिलते ही तत्काल प्रार्थी इस वाद में बतौर प्रतिवादी फरीक कायम किये जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत करता है ताकि वादी द्वारा षडयंत्र रचकर सम्पत्ति खुर्द बुर्द न हो सके। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के प्रकाश में वादी को निर्देशित किया जावे कि वादी प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी फरीक कायम करें तथा संशोधित वाद पत्र की प्रतिलिपि प्रार्थी को उसके अधिवक्ता को प्रदान करें और तत्पश्चात प्रार्थी को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उचित व वांछित आदेश पारित किये जावे।

3- वादी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति 49 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र मिथ्या, भ्रामक एवं अस्पष्ट है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारों को जोड़ना न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं है बल्कि न्यायिक विवेक का प्रश्न है जिसका प्रयोग किसी विशेष मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रार्थी प्रस्तुत वाद में न तो आवश्यक और न ही उचित पक्षकार है। वास्तव में प्रार्थी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में फर्जी दस्तावेज बनाये गये है जो गलत तरीके से उसे स्वर्गीय रसिका बाबा का पुत्र दर्शाता है तथा उन दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान वाद में आवश्यक और उचित पक्षकार होने का कथन करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत वाद में वादी के अधिकारों को नुकसान पहुँचाने के लिए गलत इरादे से प्रस्तुत किये, गये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध आपराधिक विधि के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। यदि प्रार्थी को वर्तमान वाद में पक्षकार के रूप में जोड़ा जाता है तो वाद का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो जायेगा क्योंकि प्राथर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाली हैं तथा

उसके विरूद्ध कई आपराधिक मुकदमें लम्बित है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए दावा किया गया है कि उसका असली नाम विष्णु वावरा पुत्र रसिका बाबा है जबकि उसका वास्तविक नाम विष्णु कुमार शर्मा पुत्र पुरूषोत्तम शर्मा है। प्रार्थी के पेन कार्ड तथा आधार कार्ड की प्रति अनुलग्नक B व अनुलग्नक C के रूप में संलग्न है। प्रार्थी का यह कथन कि बाबा रसिका पागल जी द्वारा अपनी मृत्यु से एक दिन पहले यानि 03-12-2021 को एक वसीयत लिखी गयी थी जिसके माध्यम से वादग्रस्त संपत्ति के सम्बन्ध में एक ट्रस्ट बनाया जाना था एवं उस ट्रस्ट के संस्थापक यानि अध्यक्ष ने अपने शिष्य विष्णु बावरा को घोषित करते हुए वादग्रस्त संपत्ति के सभी अधिकार प्रार्थी को दे दिये, सरासर गलत है। यह गलत है कि वादी ने महाराज जी की सहमति के बिना विवादित संपत्ति को हड़पने की नीयत से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके करोड़ों रूपये चुरा लिये है बल्कि स्वर्गीय रसिका बाबा द्वारा रखे गये पैसे को प्रार्थी की सहायता से प्रतिवादियों ने चुरा लिया था। वादी रसिका बाबा का दत्तक पुत्र है और बचपन से ही वादग्रस्त संपत्तियों के स्थानान्तरित होने से पहले से ही वह उनके साथ है। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिये गये अत्यधिक उत्पीड़न और लगातार धमकियों के कारण वादी ने उनके विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई जो अभी लम्बित है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता का नाम व पता बदल कर फर्जी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है तथा वादी के अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी के विरूद्ध धारा 340 सीआर०पी०सी० के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाये। प्रार्थना पत्र उपरोक्त आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति का०सं० 55 ग के माध्यम से कथन किया है कि प्रार्थना पत्र गलत कथनों के साथ बदनीयती से प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के यह कथन सरासर गलत एवं मनगढ़न्त हैं कि बाबा रसिका पागल जी के देहान्त से एक दिन पूर्व दिनांक 03-12-2021 को कोई इच्छापत्र लिखा गया हो या किसी इच्छा पत्र के अनुसार किसी ट्रस्ट का निर्माण करने या प्रार्थी को संस्थापक/अध्यक्ष बनाया जाना घोषित किया हो। बाबा रसिका पागल जी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी किसी ट्रस्ट की स्थापना किये जाने की घोषणा नहीं की गयी एवं न ही कोई इच्छापत्र ही दिनांक 03-12-2021 को भ्रार्थी के हक में निष्पादित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने कोई फर्जी बिला अधिकार दस्तावेज बना लिया है जिसका कोई लाभ प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथन अपने एवं रसिका बाबा महाराज की सेवा सुश्रा एवं लाड़ प्यार के कथन सरासर गलत है। प्रार्थी ने जो कथन अपने प्रार्थना पत्र में कह हैं उनसे स्पष्ट है कि वह प्रतिवादी एवं वादी दोनों के विरूद्ध कथन करना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का इंटरेस्ट वादी एवं प्रतिवादी दोनों के विरूद्ध है। प्रार्थी को इस वाद में पक्षकार कायम किये जाने से इस वाद की प्रकृति ही पूरी तरह बदल जावेगी एवं वाद में तकनीकियों उत्पन्न हो जावेगी। प्रार्थी द्वारा स्वय को प्रतिवादी बनाये जाने की प्रार्थना की है एवं प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन प्रतिवादी के विरूद्ध कहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रतिवादी कायम नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का यह कथन भी सरासर गलत एवं मनगढन्त है कि उक्त वाद के वादी एवं प्रतिवादी आपस में साज किये हुये हो याकि कोई प्रभाव प्रार्थी के अधिकारों पर

पड़ता हो। प्रार्थी का कोई अधिकार किसी भी प्रकार से प्रश्नगत सम्पत्ति में निहित नहीं है एवं प्रार्थी न तो आवश्यक पक्षकार एवं उचित पक्षकार इस वाद का है। प्रार्थना पत्र स्पेशल हर्जा आरोपित कर निरस्त किये जाने योग्य है।

4– उक्त प्रार्थनापत्र 37 क व उस पर प्रस्तुत आपत्ति 49 ग व 55 ग पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 27.02.2024 पारित करते हुए तथा यह अभिमत व्यक्त करते हुए कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत का०सं० 52 ग/6 इच्छापत्र दिनांकित 03.12.2021 के अवलोकन से विदित है कि उसमें प्रश्नगत सम्पत्तियों के ट्रस्ट के निर्माण अथवा प्रार्थी को उस ट्रस्ट का संस्थापक/अध्यक्ष बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, उक्त इच्छापत्र दिनांकित 03.12.2021 एक अपंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रश्नगत सम्पत्तियों पर प्रार्थी का कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार निहित न होने की दशा में प्रस्तुत वाद के निस्तारण से प्रार्थी के कोई विधिक अधिकार प्रभावित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे में प्रस्तुत वाद में तृतीय पक्ष को उचित एवं आवश्यक पक्षकार होना नहीं पाया जाता है, तृतीय पक्ष के प्रार्थनापत्र 37 क को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांकित 18.03.2024 को व्यवहार निगरानी में आक्षेपित किया गया है।

5– निगरानी आधारों में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि आक्षेपित आदेश को पारित करने में उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है, जो काननून उसमें निहित था। आक्षेपित आदेश विधिविरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है, जिसको पारित करने में तथ्य व विधि की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में इच्छापत्र दिनांकित 03.12.2021 में प्रश्नगत सम्पत्तियों के ट्रस्ट के निर्माण अथवा प्रार्थी को उस ट्रस्ट का संस्थापक/अध्यक्ष बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं होने की टिप्पणी की है। उल्लेखनीय है कि उक्त इच्छापत्र में प्रार्थी/तृतीयपक्ष/निगरानीकर्ता को रसिक बाबा द्वारा अपनी चल–अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के स्पष्ट कथन अंकित हैं। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा जिस सम्पत्ति के बावत वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसमें वर्णित सम्पत्ति के स्वामी बाबा रसिका पागल बाबा थे, जिनके देहान्त के बाद उनकी समस्त सम्पत्तियों का मालिक प्रार्थी/तृतीयपक्ष/निगरानीकर्ता हुआ, जिस कारण निगरानीकर्ता का हित वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में निहित है। प्रश्नगत सम्पत्ति एक शहरी सम्पत्ति है, जिसके सम्बन्ध में निष्पादित इच्छापत्र का पंजीकृत होना विधिक रूप से आवश्यक नहीं है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2024 को निरस्त/अपास्त किया जाकर निगरानीकर्ता/ तृतीयपक्ष के प्रार्थनापत्र 37 क को स्वीकार करने के सम्बन्ध में वांछित आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

6– प्रत्यर्थीगण की ओर से निगरानी के विरूद्ध मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिक रूप से समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।

प्रस्तुत निगरानी निरस्त होने योग्य है।

7– निगरानीकर्ता पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न विधिव्यवस्थाओं को संदर्भित किया गया–

1– M/s J N Real Estate Vs. Shailendra Pradhan & Ors. 2025 INSC 611 CA No. 5405–5406 of 2025

2– Shyama Devi Vs. Additional District Judge (2014) 124 RD 646

3– Umesh Chandra Saxena (Dead) by LRS and others Vs. Smt. Mohini Banpai and others 2005(23) LCD 1172

4– M/s. Aliji Monoji and Co. Vs. Lalji Mavji and others (1996) 5 SCC 379

प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न विधिव्यवस्थाओं को संदर्भित किया गया–

1– Sudhamayee Pattnaik & Others Vs. Bibhu Prasad Sahoo & Others 2022 Live Law (SC) 773

2– Gopal Gupta Vs. Kajal Nigam (LB) 2015 (33) LCD 42

3– Sunil Gupta Vs. Kiran Girhotra and others 2008(26) LCD 656

4– Kali Charan and others Vs. Dwarika Dass and others 2004(2) ARC 6

5– Naki Ali Jafri Vs. Nawab Jeeshan Khan and others 2015(2) ARC 757

6– Shafiq Ahmad Vs. The Vth Additional District Judge, Varanasi and others 1988 ALL. L. J. 612

7– Mumbai International Airport Pvt. Ltd. Vs. Regency Convention Centre and Hotels and others 2010 (82) ALR 229 SC

8– Kasturi Vs. Iyyamerumal and others AIR 2005 Supreme Court 2813

प्रत्यर्थी सं० 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न विधिव्यवस्थाओं को संदर्भित किया गया–

1– Pradeep Kumar Sudele and others Vs. Civil Judge, Lalitpur and others 2006(1) ARC 641

2– Uma Shanker and Others Vs. Rajagopalachari and others ARC 1997(2) 225

8– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9– निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिये गये हैं कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया है कि इच्छापत्र में प्रार्थी/तृतीयपक्ष/निगरानीकर्ता को रसिका बाबा द्वारा अपनी चल–अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के स्पष्ट कथन अंकित हैं। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा जिस सम्पत्ति के बावत वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसमें वर्णित सम्पत्ति के स्वामी बाबा रसिका पागल बाबा थे, जिनके देहान्त के बाद उनकी समस्त सम्पत्तियों का मालिक प्रार्थी/तृतीयपक्ष/निगरानीकर्ता हुआ, जिस कारण निगरानीकर्ता का हित वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में निहित है। अतः निगरानीकर्ता/तृतीयपक्ष इस वाद में आवश्यक पक्षकार है।

10– उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रत्युत्तरदाता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वास्तव में प्रार्थी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में फर्जी दस्तावेज बनाये गये है जो गलत तरीके से उसे स्वर्गीय रसिका बाबा का पुत्र दर्शाता है तथा उन दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान वाद में आवश्यक और उचित पक्षकार होने का कथन करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी रसिका बाबा का दत्तक पुत्र है और बचपन से ही वादग्रस्त संपत्तियों के स्थानान्तरित होने से पहले से ही वह उनके साथ है। प्रार्थी को इस वाद में पक्षकार कायम किये जाने से इस वाद की प्रकृति ही पूरी तरह बदल जावेगी एवं वाद में तकनीकियों उत्पन्न हो जावेगी।

11– अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण के द्वारा उक्त मूलवाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणात्मक डिक्री के अनुतोष हेतु योजित किया है।

निगरानीकर्ता/तृतीयपक्ष द्वारा जिस इच्छापत्र दिनांकित दिनांकित 03.12.2021 के आधार पर प्रस्तुत वाद में स्वयं का हित निहित होते हुए आवश्यक पक्षकार कायम करने की याचना की गयी है, उस इच्छापत्र जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर का०सं० 52ग/6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें बाबा रसिका पागल द्वारा निगरानीकर्ता/तृतीय पक्ष विष्णु बावरा उर्फ विष्णु कुमार शर्मा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख है। यह इच्छापत्र विधि की अपेक्षाओं को पूर्ण करता है अथवा नहीं, यह साक्ष्य की विषयवस्तु है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में उक्त इच्छापत्र दिनांकित 03.12.2021 को अपंजीकृत दस्तावेज होने का कथन किया है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार वसीयत/इच्छापत्र का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, अपंजीकृत वसीयत भी साक्ष्याधीन पुष्ट होने की प्रत्याशा में वैध मानी जायेगी। किसी वसीयत को प्रारम्भिक स्तर पर मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह अपंजीकृत दस्तावेज है। उक्त इच्छापत्र दिनांकित 03.12.2021 के आधार पर यह स्पष्ट है कि बाबा रसिका पागल की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में योजित वाद में तृतीयपक्ष/निगरानीकर्ता का भी हित निहित है और उक्त वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु

तृतीयपक्ष को भी सुना जाना आवश्यक है। यदि निगरानीकर्ता/तृतीय पक्ष को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो उसके हित प्रभावित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अर्थात निगरानीकर्ता/तृतीय पक्ष उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है।

12– अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश जिसके माध्यम से निगरानीकर्तागण/तृतीयपक्ष का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० निरस्त किया है, वह विधिसम्मत आदेश नहीं है और विधिक त्रुटि से ग्रस्त है, जो हस्तक्षेप किये जाने योग्य है। तदनुसार आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने व यह व्यवहार निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

यह व्यवहार निगरानी स्वीकार की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांकित 27.02.2024 अपास्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय में व्यक्ति किये निष्कर्ष के प्रकाश में, निगरानीकर्ता/तृतीयपक्ष के प्रार्थनापत्र 37 क अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी०पी०सी० पर पक्षकारों को पुनः सुनने के पश्चात, विधिसम्मत आदेश पारित करें।

उभय पक्ष अग्रेतर निर्देश हेतु दिनांक 15.04.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। विचारण न्यायालय का अभिलेख आवश्यक कार्यवाही उपरांत अविलम्ब वापस प्रेषित किया जाये।

दिनांक–01.04.2026

(विकास कुमार–।)
जनपद न्यायाधीश, मथुरा
आई०डी०क्रमांक–1910

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–01.04.2026

(विकास कुमार–।)
जनपद न्यायाधीश, मथुरा
आई०डी०क्रमांक–1910

सन्देश वर्मा